भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4047

सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947, (शक)

पेंशन कवरेज का विस्तार

4047. श्रीमती डी. के. अरुणाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2050 तक देश का वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाएगा और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2047 तक देश का विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने का मार्ग काफी हद तक वृद्धावस्था गरीबी से भविष्य को सुरक्षित करने के हमारे प्रयासों पर निर्भर करेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पेंशन कवरेज का वर्तमान विस्तार मापनीयता, संवेदनशीलता और स्थिरता से जुड़े मुद्दों से बाधित है और अनौपचारिक श्रमिकों को पेंशन ढांचे से बाहर रखने का मुख्य कारण पेंशन योजनाओं की खंडित प्रकृति है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसके लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री श्रम योगी मान- धन (पीएम-एसवाईएम) योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए फरवरी, 2019 में शुरू की गई थी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के तहत, असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रुपये की मासिक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, 18-40 वर्ष की आयु के वे कामगार जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या उससे कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं या आयकर दाता नहीं हैं, वे इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। लाभार्थी द्वारा मासिक अंशदान 55/- रुपये से लेकर 200/- रुपये तक होता है, जो लाभार्थी की प्रवेश आयु पर निर्भर करता है। योजना के तहत, केंद्र सरकार द्वारा समान अंशदान का भुगतान किया जाता है। इस योजना में नामांकन सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है जिसका देश भर में लगभग 4 लाख केन्द्रों का नेटवर्क है। पात्र असंगठित कामगार www.maandhan.in पोर्टल पर जाकर भी स्वयं नामांकन कर सकते हैं।

जारी..2/-

इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए कामगारों के बीच जागरूकता फैलाने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं -

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित करना।
(ii) राज्य सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) प्रमुखों के साथ बैठक।
(iii) स्वैच्छिक निकास, रिवाईवल माड्यूल, दावा स्थिति और लेखा विवरण जैसी नई सुविधाओं की शुरूआत।
(iv) निष्क्रिय खातों के रिवाईवल को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करना।
(v) पीएम-एसवाईएम और ई-श्रम का दोतरफा एकीकरण।
(vi) जागरूकता पैदा करने के लिए एसएमएस अभियान।
(vii) पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत नामांकन के संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों को संबोधित करना। वर्त्तमान में, योजना की न्यूनतम पात्रता सीमा में संशोधन करने का का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इसके आतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें विभिन्न पेंशन योजनाएं चलाती हैं जैसे: वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्तता पेंशन, निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पेंशन, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन आदि।

****